2010:CGHC:8632

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1519/2005

याचिकाकर्ता भगवत राम साहू

बनाम

उत्तरवादी मध्य प्रदेश राज्य (अब छ720त्तीसगढ़) एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 6 मई, 2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2010:CGHC:8632

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1519/2005

याचिकाकर्ता भागवत राम साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग.) एवं अन्य

उपस्थिति:

श्री भास्कर प्यासी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अजय द्विवेदी, राज्य/उत्तरवादीगण के लिए उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 6.05.2010 को पारित)

1. याचिकाकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 20.2.1997 (अनुलग्नक ए-2) की वैधानिकता और वैधता को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अधीक्षण अभियंता/उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

2. याचिका में शामिल विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक सुसंगत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक रूप से वर्ष 1974 में जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन भोगी आधार पर टाइमकीपर (समयपाल) के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके कार्य-प्रदर्शन और सेवा अभिलेख के साथ-साथ सरकारी नीति पर विचार करते हुए, छानबीन समिति द्वारा योग्यता आदि की समीक्षा के पश्चात, याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 22.2.1989 (अनुलग्नक ए-1) के द्वारा कार्यभारित

स्थापना में 775-1200/- रुपये के वेतनमान पर टाइमकीपर के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश दिनांक 22.2.1989 के अधीन याचिकाकर्ता को एक अभिप्रमाणन प्रपत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा माह दिसंबर, 1999 के किसी दिनाँक को प्रस्तुत किया गया था।

उक्त सत्यापन प्रपत्र उत्तरवादियों के जवाब के साथ अनुलग्नक आर-1 के रूप में अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र को सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक, रायपुर को भेजा गया था और दिनांक 10.9.1991 का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, जिसे दिनांक 20.8.1991 को हस्ताक्षरित किया गया था वह प्रतिवेदन कार्यपालन अभियंता को दिनांक 24.9.1991 को प्राप्त हुआ, जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध क्रमांक 306/89 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 471, 409 और 120 ख के अंतर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए मामला पंजीकृ कर विवेचना में लिया गया है। उक्त पत्र में कहा गया था कि सत्यापन प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 12 को भरते समय इस तथ्य को छिपाया गया था। दिनांक 15.11.1991 को, कार्यकारी अभियंता ने अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन भेजकर यह सूचित किया कि किन परिस्थितियों में अपराध के पंजीयन का तथ्य सत्यापन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 में उल्लेख नहीं किया गया था और उक्त सत्यापन प्रपत्र को कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में भेजने से पहले जांच क्यों नहीं की गई थी। अधीक्षक अभियंता ने अनुविभागीय अधिकारी को मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने की भी आवश्यकता बताई। दिनांक 15.11.1991 के पूर्वोक्त ज्ञापन की एक प्रति भी याचिकाकर्ता को दिनांक 27.11.1991 के पृष्ठांकन के तहत पृष्ठांकित की गई थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.11.1991 के अपने पत्र दिनांक 27.11.1991 के माध्यम से, दिनांक 27.11.1991 के पृष्ठांकन के संदर्भ में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सूचित किया कि अपराध क्रमांक 306/89 में पिछले 3 वर्षों से अन्वेषण चल रही है और कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि कॉलम संख्या 12 (क) (ख) (ग) लगभग 6 वर्षों के पश्चात, दिनांक 20.2.1997 को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए-2) पारित किया गया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (जिसे अब "1961 के नियम" कहा जाएगा) के नियम 6(3) और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र दिनांक 30.6.1993 के खंड-I में निहित प्रावधान के अनुसार और पुलिस उप महानिरीक्षक के दिनांक 10.9.1991 के पत्र के अनुपालन में, याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त की जाती हैं, क्योंकि उसका चरित्र आपत्तिजनक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने सेवा समाप्ति के उपरोक्त आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी है कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई जांच नहीं की गई और न ही कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश साधारण रुप से सेवा समाप्ति का आदेश नहीं है, बल्कि कलंकपूर्ण और दंडात्मक है, इसलिए इसे आरोपों का जवाब देने का अवसर देने से पहले जारी किया जाना चाहिए था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का भी उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सत्यापन प्रपत्र (अनुलग्नक आर-1) के सुसंगत कॉलम क्रमांक 12 (क) (ख) (ग) के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत जानकारी नहीं दी यह दृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को किसी भी पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने के

संबंध में कोई भी जानकारी देने की आवश्यकता वाला कोई खंड नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने खंड 12 (क) (ख) (ग) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली सभी जानकारी सद्भावपूर्वक प्रकट की थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को न तो गिरफ्तार किया गया, न ही उस पर अभियोजन चलाया गया, न ही उसे अभिरक्षा में रखा गया, न ही उस पर बंध-पत्र/जुर्माना लगाया गया, न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया, न ही किसी लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षा/चयन में बैठने से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया, न ही किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान द्वारा कोई परीक्षा देने से वंचित/प्रतिबंधित किया गया। इसलिए, खंड 12 (क) के तहत मांगी गई जानकारी के विवरण की उपरोक्त आवश्यकता के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा "नहीं" के रूप में प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी तरह से गलत या मिथ्या सूचना या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने वाली नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि खंड 12 (ख) में जो अपेक्षित था, वह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में लंबित किसी मामले की जानकारी के बारे में था। इस कॉलम के विरुद्ध भी याचिकाकर्ता ने "नहीं" कहा। याचिकाकर्ता के अनुसार, चूँकि सत्यापन प्रपत्र भरते समय उसके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण, संस्थान में कोई मामला लंबित नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की या मांगी गई जानकारी को छिपाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सिर्फ़ इसलिए कि अपराध दर्ज किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाया गया, क्योंकि सत्यापन प्रपत्र भरने और जमा करने की तिथि तक किसी भी दांडिक न्यायालय में कोई अभियोग पत्र दायर नहीं किया गया था, दांडिक न्यायालय द्वारा

कोई संज्ञान लेना तो दूर की बात है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि सिर्फ़ अपराध का पंजीयन होना किसी भी न्यायालय में मामले के लंबित होने के बराबर नहीं है। चूँकि याचिकाकर्ता को किसी भी पुलिस थाने में किसी भी दांडिक मामले के पंजीयन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाला कोई विशिष्ट खंड नहीं था, याचिकाकर्ता के लिए इसके बारे में उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता या तो कोई गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का दोषी था। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **कमल नयन मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1974 से विभाग में कार्य किया था। यह भी तर्क दिया गया है कि भले ही अपराध दर्ज होने की जानकारी उत्तरवादियों के पास वर्ष 1991 में ही उपलब्ध थी, जैसा कि उप महानिरीक्षक के दिनांक 10.9.1991 के पत्र (अनुलग्नक आर-2) द्वारा सूचित किया गया था, लगभग 6 वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और याचिकाकर्ता की सेवाएं वर्ष 1997 में समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि कार्यभारित स्थापना में टाइमकीपर के रूप में कार्य करते हुए, याचिकाकर्ता न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के संरक्षण का हकदार था, बल्कि कार्यभारित और आकस्मिकता स्थापना नियम, 1975 (इसके बाद "1975 के नियम") के प्रावधान के तहत किसी भी सेवा समाप्ति के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का भी हकदार था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि सेवा समाप्ति का कारण मनमाना है क्योंकि यह इस आधार पर नहीं है कि याचिकाकर्ता

1(2010) 2 SCC 169

ने सत्यापन प्रपत्र भरते समय कोई जानकारी छिपाई या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत की, बल्कि इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता का चरित्र आपत्तिजनक था। उत्तरवादियों के लिए कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति के लगभग 6 वर्ष बाद याचिकाकर्ता की सेवाओं को याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित और उपयुक्त अवसर दिए बिना इस आधार पर समाप्त करना उचित नहीं था कि उसका चरित्र आपत्तिजनक था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम तर्क यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1974 में टाइमकीपर, एक कम वेतन वाले कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। वह गरियाबंद तहसील के पांडुका गाँव का निवासी, एक देहाती ग्रामीण था। वह उच्चतर माध्यमिक पास था और अधिक शिक्षित नहीं था। किसी भी पुलिस थाना में दांडिक मामले के पंजीयन का खुलासा करने के लिए याचिकाकर्ता को आवश्यक विशिष्ट खंड के अभाव में, याचिकाकर्ता से ये सभी जानकारी देने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सत्यापन प्रपत्र में याचिकाकर्ता को पुलिस थाने में अपराध के पंजीयन का खुलासा यदि कोई हो तो करना आवश्यक है। हालांकि सत्यापन प्रपत्र में कोई विशिष्ट खंड नहीं था, परंतु खंड 12 (क) (ख) (ग) में निहित विभिन्न सूचनाओं की समग्रता पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को पूरी निष्पक्षता से यह खुलासा करना चाहिए था कि उसके विरुद्ध पुलिस थाने में दांडिक मामला दर्ज किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कार्यभारित स्थापना में कार्यभारित टाइमकीपर के रूप में नियुक्त किया गया था और नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता की सेवाएं अस्थायी थीं और एक महीने का नोटिस देकर उन्हें कभी भी समाप्त किया जा सकता था। उत्तरवादियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जब यह खुलासा हुआ कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस थाने में दांडिक मामला दर्ज किया गया है, तो

प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया और उसका चरित्र आपत्तिजनक पाया, जिसके कारण दिनांक 20.2.1997 के आदेश द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम बिपद भंजन गायेन**[2] और **आर. राधाकृष्णन बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य**[3] के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है, उनसे पता चलता है कि याचिकाकर्ता को शुरू में वर्ष 1974 में दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और उस क्षमता में बने रहने के दौरान, उनकी शैक्षणिक योग्यता, वरिष्ठता आदि की जांच के बाद उन्हें टाइमकीपर के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया था। याचिका के कंडिका 6.1 में किया गया कथन कि प्रदर्शन और स्वच्छ पृष्ठभूमि को देखते हुए, याचिकाकर्ता को टाइमकीपर के रूप में नियुक्त किया गया था को उत्तरवादियों द्वारा अपने जवाब में विवादित नहीं किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के मामले की जांच समिति द्वारा की गई थी और उन्हें उनके प्रदर्शन और स्वच्छ पृष्ठभूमि, वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यता आदि के आधार पर उपयुक्त पाते हुए, उन्हें कार्यभारित स्थापना में टाइमकीपर के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति अस्थायी है और उनकी वरिष्ठता या शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी विसंगति की स्थिति में, उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति की शर्तों के खंड 4 में यह प्रावधान था कि कार्यभार ग्रहण करते समय, विधिवत भरा हुआ चरित्र सत्यापन प्रपत्र संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. 2008 AIR SCW 4058
3. 2007 AIR SCW 7595

करना होगा। याचिकाकर्ता परिवीक्षाधीन नहीं था और उसकी नियुक्ति आदेश में ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं है। उत्तरवादियों ने नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता द्वारा भरे गए सत्यापन प्रपत्र को अनुलग्नक आर-1 के रूप में अपनी विवरणी के साथ अभिलेख में प्रस्तुत किया है। सुसंगत होने के कारण, सत्यापन प्रपत्र के खंड 12 (क) (ख) (ग) नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"12. (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, अभियोजन चलाया गया है, अभिरक्षा में रखा गया है या बंध -पत्र/अर्थदण्ड लगाया गया है, किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षाओं/चयनों में बैठने से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया है, या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/संस्थान द्वारा कोई परीक्षा देने से वंचित/प्रतिबंधित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) क्या इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण, संस्थान में कोई मामला लंबित है?

(ग) यदि (क) या (ख) का उत्तर 'हाँ' है, तो इस प्रपत्र को भरते समय मामले का विवरण, अभिरक्षा, निरुद्ध, जुर्माना, दोषसिद्धि, दंड आदि तथा न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मामले की प्रकृति का विवरण भरें।

9. याचिकाकर्ता द्वारा भरे गए सत्यापन प्रपत्र से पता चलता है कि खंड 12 (क) में मांगी गई जानकारी के संबंध में याचिकाकर्ता ने "नहीं" कहा है। खंड 12 (ख) में मांगी गई जानकारी के संबंध में भी याचिकाकर्ता ने "नहीं" कहा है। खंड (क) के अंतर्गत प्रश्न का अवलोकन करने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ता को यह बताना आवश्यक था कि क्या उसे कभी किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किया गया, अभियोजन चलाया गया, अभिरक्षा में रखा गया, बांड निष्पादित करने के लिए आदेशित, सिद्धदोष, या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षा/चयन में बैठने से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया, या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने से वंचित/प्रतिबंधित किया गया। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सत्यापन प्रपत्र भरते समय याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में कोई मामला लंबित है। खंड 12 (ग) के अनुसार, यदि उप-खंड (क) या (ख) का उत्तर "हाँ" है, तो याचिकाकर्ता को विवरण देना आवश्यक था। उप-खंड (क) या (ख) के अंतर्गत कोई भी प्रश्न केवल दांडिक मामले के पंजीयन से संबंधित नहीं था। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत जानकारी दी है या खंड 12 (क) और (ख) के अंतर्गत विशेष रूप से मांगी गई कोई जानकारी छिपाई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यपालक अभियंता द्वारा 5 जनवरी, 1991 को पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचना हेतु पत्र भेजा गया, जिसके प्रत्युत्तर में पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा कार्यपालक अभियंता को दिनांक 10.9.1991 को ज्ञापन (अनुलग्नक आर-2) भेजा गया, जिसमें बताया गया कि अपराध क्रमांक 306/89 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 471, 409 और 120 ख के अंतर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए एक अपराध पंजीकृत किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि सत्यापन प्रपत्र के खण्ड 12 के अंतर्गत सूचना

देते समय दांडिक प्रकरण दर्ज किए जाने के तथ्य को छिपाया गया, जो प्रपत्र में निहित चेतावनी और शासन के चरित्र सत्यापन आदेश के अनुसार आपत्तिजनक है और इस आधार पर याचिकाकर्ता शासकीय सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद, कार्यकारी अभियंता ने अनविभागीय अधिकारी को संबोधित करके अपने ज्ञापन दिनांक 15.11.1991 (अनुलग्नक आर -4) के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को यह बताने की आवश्यकता बताई कि किन परिस्थितियों में दांडिक प्रकरण के लंबित होने से संबंधित तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था और सत्यापन प्रपत्र भेजने से पहले मामले की जांच क्यों नहीं की गई और इसे देर से क्यों भेजा गया। कार्यकारी अभियंता ने अनुविभागीय अधिकारी को यह भी बताने की आवश्यकता बताई कि मामले की स्थिति क्या है ताकि सूचना अधीक्षण अभियंता को भेजी जा सके। उस पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता को दिनांक 27.11.1991 के समर्थन के द्वारा भेजी गई, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.11.1991 को ही तर्क प्रस्तुत किया कि दांडिक प्रकरण दर्ज होने के बाद, अन्वेषण चल रही है और 3 वर्ष तक कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने दोहराया कि खंड 12 (क) (ख) (ग) में उनके द्वारा दी गई जानकारी को यथावत माना जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त दस्तावेजों और पक्षकारों के तर्कों के अवलोकन से, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि याचिकाकर्ता ने न तो कोई गलत जानकारी दी और न ही कोई जानकारी छिपाई, जैसा कि उप-खंड (क) (ख) और (ग) सहित उपरोक्त प्रपत्र के विभिन्न खंडों के तहत मांगा गया था। हालांकि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता से सत्यापन प्रपत्र भरने की अपेक्षा की, जिसके तहत याचिकाकर्ता को विभिन्न खंडों के तहत मांगी गई जानकारी का खुलासा करना आवश्यक था, उत्तरवादियों ने अपने विवेक से केवल दांडिक प्रकरण के पंजीयन के संबंध में विशिष्ट जानकारी मांगना आवश्यक नहीं समझा। सत्यापन प्रपत्र (अनुलग्नक आर-1) के अलावा उत्तरवादी शासन के किसी अन्य नियम/विनियम, दिशानिर्देश/निर्देश को अभिलेख पर रखने में विफल रहे हैं, जो याचिकाकर्ता को उसकी चयन नियुक्ति की अवधि के दौरान और सत्यापन प्रपत्र भरने तक बताए गए थे, जिनमें याचिकाकर्ता से अपराध के कथित आरोप के केवल पंजीयन के संबंध में विशेष रूप से सूचित करने की अपेक्षा की गई थी। जवाब में उत्तरवादियों का रुख यह है कि खंड 12 (क) के विरुद्ध "नहीं" कहकर याचिकाकर्ता ने यह संदेश दिया कि उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता ने अपराध क्रमांक 306/89 के पंजीयन के विषय में तथ्य को छिपाया। उत्तरवादियों का ऐसा तर्क खारिज किए जाने योग्य है। चूंकि खंड 12 (क) या (ख) में निहित सत्यापन प्रपत्र में ऐसा कोई विशिष्ट खंड नहीं था, जिसमें याचिकाकर्ता से पुलिस द्वारा अपराध के पंजीयन के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता होती, इसलिए यह नहीं कहा जा

सकता कि ऐसी जानकारी जोड़ने में, भले ही पूछा न गया हो, याचिकाकर्ता ने उक्त जानकारी को छिपा दिया। यदि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता से यह खुलासा करने की मांग की होती कि क्या उसके विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई अपराध दर्ज किया गया है और तब भी याचिकाकर्ता ने इसका खुलासा नहीं किया होता, तो संभवतः यह कहा जा सकता था कि याचिकाकर्ता ने जानकारी छिपा दी। दूसरी ओर, यह जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक था कि क्या याचिकाकर्ता को कभी गिरफ्तार किया गया, अभियोजन चलाया गया, अभिरक्षा में रखा गया या बंध-पत्र निष्पादित करने का आदेश किया गया/जुर्माना लगाया गया, किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया आदि। पुलिस थाने में अपराध दर्ज होने मात्र से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाया गया था क्योंकि अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि न्यायालय में कभी चालान दाखिल किया गया था और याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाया गया था। उत्तरवादियों का यह भी मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि उत्तरवादियों का यह भी मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा बंध-पत्र के लिए आदेशित किया गया/जुर्माना लगाया गया या दोषसिद्ध किया गया था। इसके अलावा, पुलिस थाने में अपराध दर्ज होने का अर्थ यह नहीं होगा कि मामला किसी न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने कोई झूठी जानकारी दी या कोई जानकारी छिपाई। यदि उत्तरवादियों की राय में, पुलिस थाने में अपराध दर्ज होना ही नियुक्ति या सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए पर्याप्त था, तो उत्तरवादियों के लिए यह हमेशा खुला था कि वे जानकारी मांगते समय यह भी उल्लेख करें कि क्या किसी पुलिस थाने में कोई दांडिक प्रकरण दर्ज है। चूँकि याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई जानकारी नहीं माँगी थी, इसलिए उससे खंड 12 (क) और (ख) के अंतर्गत माँगी गई जानकारी के लिए "नहीं" के अलावा कुछ भी लिखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। चूँकि खंड 12 (क) और (ख) में वर्णित स्थितियाँ याचिकाकर्ता के मामले में मौजूद नहीं थीं, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए खंड 12 (ग) के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त विवरण देने का कोई अवसर नहीं था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दिनांक 20.2.1997 के आक्षेपित आदेश से यह पता चलता है कि उत्तरवादियों ने 8 वर्ष बाद याचिकाकर्ता की सेवाएँ यह कहते हुए समाप्त कर दीं कि 1961 के नियमों, 30 जून, 1993 के परिपत्र और पुलिस उप महानिरीक्षक के दिनांक 10.9.1991 के ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता का चरित्र आपत्तिजनक पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। 1961 के नियमों के नियम 6(3) में यह प्रावधान है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि आवश्यक समझी जाने वाली जाँच के बाद,

नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कर्मचारी किसी भी तरह से सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है। 1961 के नियम 6 के उपनियम (4) में आगे यह प्रावधान है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, परंतु कि जहां ऐसे मामले अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित हों, वहां नियुक्ति के लिए उसका मामला दांडिक प्रकरण के अंतिम निर्णय तक लंबित रखा जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान का संयुक्त वाचन यह दर्शाता है कि हालांकि किसी विशेष अपराध के मामले में दोषसिद्धि को अयोग्यता माना गया है, लेकिन ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में दांडिक प्रकरण दर्ज होने मात्र से अयोग्य ठहराया जा सके। हालांकि, 1961 के नियमों के नियम 6(3) में निहित प्रावधान के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए सेवा या पद के लिए सभी प्रकार की उपयुक्तता के बारे में पूछताछ करना खुला था। हालांकि, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति से पहले ऐसा अभ्यास करना आवश्यक है। वर्तमान में मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता को परीवीक्षाधीन कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 10.9.1991 के ज्ञापन की सामग्री से पता चलता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक ने राय दी कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र के खंड 12 के तहत जानकारी छिपाई जो स्पष्ट रूप से गलत है। ऐसी गलत धारणा के आधार पर, यह भी दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता का यह कृत्य सत्यापन प्रपत्र और शासन के चरित्र सत्यापन आदेशों में निहित चेतावनी के अनुसार आपत्तिजनक है। सत्यापन प्रपत्र के आरंभ में "चेतावनी" का अवलोकन करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "चेतावनी-
>
> सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अयोग्यता होगी तथा इससे अभ्यर्थी को शासकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
>
> 2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने और जमा करने के बाद किसी को अभिरक्षा में लिया जाता है, दोषसिद्ध किया जाता है, सेवा से वंचित किया जाता है, आदि, तो इसकी जानकारी तुरंत राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसे सत्यापन प्रपत्र पहले भेजा गया था, जैसा भी मामला हो। ऐसा न करने पर इसे तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने का मामला माना जाएगा।

3. यदि किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह तथ्य सामने आता है कि सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी दी गई है या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

12. उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत जानकारी दी या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई। यह भी मामला नहीं है कि प्रपत्र पूरा होने और सत्यापन के बाद, याचिकाकर्ता को या तो अभिरक्षा में लिया गया, दोषसिद्ध किया गया या सेवा से वंचित किया गया और इस विवरण की सूचना उस सक्षम प्राधिकारी को तुरंत नहीं दी गई जिसके समक्ष सत्यापन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह माना जा सके कि यह तथ्यात्मक जानकारी छिपाने के बराबर है। उत्तरवादियों ने चरित्र सत्यापन से संबंधित शासन के किसी भी आदेश को अभिलेख में नहीं रखा है। इस प्रकार, पुलिस उप महानिरीक्षक की यह राय कि याचिकाकर्ता का कृत्य आपत्तिजनक था, जिसे वास्तव में उसकी सेवा समाप्ति का आधार बनाया गया था, जैसा कि बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है, पूरी तरह से गलत और दिशाहीन थी क्योंकि यह इस तथ्य की गलत धारणा पर आधारित थी कि यद्यपि याचिकाकर्ता को पुलिस थाने में अपराध के पंजीयन के संबंध में जानकारी का खुलासा करना आवश्यक था, याचिकाकर्ता ने उस जानकारी को छिपाया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधीक्षण अभियंता ने पुलिस उप महानिरीक्षक की राय के आधार पर यंत्रवत् कार्य किया, जिन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता का चरित्र आपत्तिजनक था और इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त कर दी। इसलिए, आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन है। यह सीधे तौर पर सेवा समाप्ति का मामला नहीं है। आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख कि याचिकाकर्ता का चरित्र आपत्तिजनक था, उस पर कलंक लगाता है। जवाब में किए गए कथनों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त करके दंडित किया कि उसका चरित्र आपत्तिजनक था क्योंकि उसने सत्यापन प्रपत्र में मांगी गई जानकारी छिपाई थी। इन परिस्थितियों में, उत्तरवादियों का यह दायित्व था कि वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देते और इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसका स्पष्टीकरण मांगते कि याचिकाकर्ता का चरित्र आपत्तिजनक था। इस बात पर बल दिया जा सकता है कि सेवा समाप्ति का आधार यह निष्कर्ष था कि चूँकि याचिकाकर्ता ने पुलिस थाने में अपराध का खुलासा नहीं किया, इसलिए यह आपत्तिजनक कृत्य था जो याचिकाकर्ता के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आदेश में यह नहीं कहा गया है कि

दांडिक प्रकरण दर्ज होने के कारण याचिकाकर्ता नियुक्ति के मामले में लागू किसी भी नियम के तहत निर्धारित किसी भी अयोग्यता के कारण नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गया। इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही का पूरा आधार त्रुटिपूर्ण, मनमाना, अतार्किक होने के साथ-साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी था।

14. उत्तरवादियों ने आर. राधाकृष्णन (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया है। उस मामले में, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। उस पर अभियोजन चलाया गया और बाद में उसे दोषमुक्त कर दिया गया। उस मामले में घोषणा पत्र के खंड 15 और 16 इस प्रकार थे:

> "15. क्या आप कभी किसी दांडिक प्रकरण में अभियुक्त के रूप में शामिल रहे हैं?
>
> 16. क्या आपको कभी किसी दांडिक या अन्य अपराध में गिरफ्तार किया गया है, दोषसिद्ध किया गया है और कारावास या अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है? यदि हाँ, तो कैलेंडर प्रकरण क्रमांक तथा न्यायालय के साथ विवरण दें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्मचारी एक वर्दीधारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करना चाहता था, जहाँ ऐसी सेवा में सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षित मानक अन्य सेवाओं में सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति से भिन्न होते हैं और इस निष्कर्ष के अनुसार कि याचिकाकर्ता ने एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया था, साथ ही यह भी विचार करते हुए कि यदि ऐसा तथ्य प्रकट किया गया होता, तो प्राधिकारी चरित्र और उपयुक्तता दोनों का सत्यापन कर सकता था और इसके अलावा, जिन व्यक्तियों ने ऐसा खुलासा नहीं किया था, उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था, यह माना गया कि कर्मचारी के पक्ष में न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन अपने मुख्य सचिव एवं अन्य बनाम सुशील कुमार [(1996) 11 एससीसी 605] मामले में अपने पूर्व निर्णय पर भी विचार किया, जहाँ उपयुक्तता के आकलन के आधार पर नियुक्ति को इस तथ्य के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया था कि उस मामले में उत्तरवादियों को किसी अपराध से उन्मोचित और/या दोषमुक्त कर दिया गया था या उन पर अपराध दर्ज किए गए थे। इसलिए उपरोक्त प्राधिकारी स्पष्ट रूप से विभेदनीय है। **भारत संघ एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में भी, तथ्य यह थे कि नियुक्ति के लिए चयन होने पर रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी को सत्यापन लंबित रहने तक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। वह परिवीक्षाधीन था और विशिष्ट नियमों के तहत, प्राधिकारी को बल के नामांकित सदस्य के रूप में सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए चुने गए किसी भी व्यक्ति को

किसी भी स्तर पर सेवामुक्त करने का अधिकार था, यदि मुख्य सुरक्षा अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, बल के हित में ऐसा करना उचित समझे, जब तक कि चयन किये गये व्यक्ति को बल में औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं कर लिया जाता। इसके अलावा, उस मामले की जाँच से पता चला कि गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। यह देखा गया कि सेवा समाप्ति का कारण उन दो दांडिक मामलों में संलिप्तता नहीं थी जिनमें उत्तरवादी को बाद में सेवामुक्त कर दिया गया था, बल्कि यह तथ्य था कि उसने सत्यापन प्रपत्र भरते समय सुसंगत जानकारी छिपाई थी। यह देखते हुए कि यह एक पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति का मामला था, जिसमें उच्च स्तर की ईमानदारी की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति से विधि का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और यह भी कि छल-कपट और धोखाधड़ी से उत्पन्न सेवा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन ((2003) 3 एससीसी 437], ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम कोनेटी वेंकटेश्वरुलु और अन्य (2005) 7 एससीसी 177] और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम सत्येंद्र सिंह राठौर [(2005) 7 एससीसी 518 के मामले में अपने निर्णयों का अवलंब लिया। .

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राम रतन यादव (पूर्वोक्त) के मामले में, यह पाया गया कि यह महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और झूठे कथन देने का मामला था। उक्त मामले में सेवा समाप्ति के आदेश को यह कहते हुए यथावत रखा गया कि जानकारी मांगने का उद्देश्य अपराध की प्रकृति या गंभीरता या अंततः दांडिक प्रकरण के परिणाम का पता लगाना नहीं था, बल्कि कर्मचारी के चरित्र और पूर्ववृत्त का आकलन करने के उद्देश्य से जानकारी मांगी गई थी ताकि वह सेवा में बना रहे।

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयुक्त (पूर्वोक्त) के मामले में भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कर्मचारी ने जानबूझकर आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी छिपाई थी और राम रतन यादव (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति झूठे दावे और झूठे दावों को छिपाता है और झूठे बहाने से नौकरी प्राप्त करता है, वह किसी भी लोक सेवा का हकदार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आर. राधाकृष्णन (पूर्वोक्त) के मामले में दिए गये अपने निर्णय का अवलंब लिया, जिसके तथ्य और परिस्थितियां भारत संघ एवं अन्य (पूर्वोक्त) मामले के समान ही थीं।

15. इस न्यायालय द्वारा ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार कि याचिकाकर्ता को मांगी गई किसी भी जानकारी को छिपाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही यह गलत जानकारी प्रस्तुत करने का मामला है, उत्तरवादियों द्वारा अवलंब लिए गए उपरोक्त न्याय दृष्टांत स्पष्ट रूप से

पृथक हैं। दिनांक 20.2.1997 (अनुलग्नक ए -2) के सेवा समाप्ति के आक्षेपित आदेश में वर्णन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह प्रकृति में दंडात्मक था, स्पष्ट रूप से कलंकित करने वाला था और इसे साधारण रुप से सेवा समाप्ति का आदेश नहीं कहा जा सकता था। कार्यवाही प्रकृति में दंडात्मक थी, जो इस राय पर आधारित थी कि चूंकि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, उसका चरित्र आपत्तिजनक है और इसमें स्पष्ट रूप से प्रतिकूल दिवानी परिणाम शामिल हैं। उत्तरवादियों की वापसी यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि सेवा समाप्ति का प्रभावी कारण साधारण सरल नहीं बल्कि पुलिस उप महानिरीक्षक की राय थी आक्षेपित आदेश ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के चरित्र पर संदेह किया और उसे प्रतिबिंबित किया, जिससे रोजगार से संबंधित उसके भविष्य की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सेवा समाप्ति एक अस्थायी शासकीय कर्मचारी की बर्खास्तगी का एक साधारण आदेश नहीं था। उत्तरवादियों द्वारा अपने जवाब में लिए गए रुख के साथ कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र में मांगी गई जानकारी को छिपा दिया और इसलिए वह सेवा में बने रहने के योग्य नहीं था, पुलिस उप महानिरीक्षक के दिनांक 10.9.1999 के ज्ञापन, जिसमें उनकी राय थी कि कथित दमन के कारण याचिकाकर्ता का चरित्र आपत्तिजनक था, संचयी दृष्टिकोण से सभी संदेह से परे स्थापित हुआ कि समाप्ति का आक्षेपित आदेश सेवा समाप्ति का साधारण रूप नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से कलंकपूर्ण और दंडात्मक है। दिनांक 15.11.1991 के पत्र (अनुलग्नक आर-4) की प्रति का केवल समर्थन करने से सेवा समाप्ति का आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। अधीक्षण अभियंता का यह दायित्व था कि वे याचिकाकर्ता से सेवा समाप्ति के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करे, क्योंकि कथित आधार पर उन्होंने सत्यापन प्रपत्र में मांगी गई जानकारी छिपाई थी और इस कारण उनका चरित्र इतना आपत्तिजनक हो गया था कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना आवश्यक हो गया। ऐसा न किए जाने पर, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आक्षेपित आदेश दोषपूर्ण हो गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कमल नयन **मिश्रा** (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जो वर्तमान मामले से काफी मिलता-जुलता है। यह भी एक ऐसा मामला था जहाँ समान परिस्थितियों में सेवा समाप्ति हुई थी। राज्य ने राम रतन यादव (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि सूचना छिपाने के कारण, सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं और इसमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि ऐसे मामलों में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित

किया कि राम रतन यादव (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत लागू नहीं होता, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

> "14. अतः, राम रतन यादव के मामले में निर्धारित सिद्धांत यह है कि जहाँ किसी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन) को अपनी नियुक्ति के संबंध में (या तो नियुक्ति के समय या उसके बाद) सत्यापन प्रपत्र में अपना व्यक्तिगत विवरण देना आवश्यक है, यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने पद के लिए अपनी योग्यता या उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में जानकारी छिपाई है या गलत जानकारी दी है, तो उसे बिना किसी जाँच के परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यह निर्णय एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति से संबंधित था, न कि किसी लोक सेवक का पद के धारक से, और इसमें कहीं भी यह प्रस्ताव नहीं दिया गया था कि राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले किसी स्थायी कर्मचारी को, उसके विरुद्ध आरोपों का सामना करने का अवसर दिए बिना, सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी देने के कारण सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. राम रतन यादव ने अभिनिर्धारित किया कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएँ, जिसने नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता या उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विवरणों के संबंध में गलत जानकारी दी हो, को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के विरुद्ध कारण बताने का कोई अवसर दिए बिना समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन एक बार जब किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को पद पर स्थायी कर दिया जाता है, तो उसकी स्थिति और प्रास्थिति बदल जाती है क्योंकि उसे अनुच्छेद 311 का संरक्षण प्राप्त होता है। यदि यह पाया जाता है कि किसी शासकीय कर्मचारी, जो किसी लोक सेवक के पद पर आसीन है, ने नियोजन के दौरान कोई गलत जानकारी दी है, तो उसे कदाचार माना जाएगा और संबंधित सेवा नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद ही उसे दंडित किया जा सकता है।

18. इस मामले में कई अन्य विशेषताएँ भी हैं जो इसे राम रतन यादव से पृथक करती हैं। पहली यह कि राम रतन यादव केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक कर्मचारी से संबंधित थे, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का संरक्षण प्राप्त नहीं था, जबकि इस मामले में हम अनुच्छेद 311 द्वारा संरक्षित एक शासकीय कर्मचारी से संबंधित हैं। दूसरी यह कि इस मामले में सत्यापन प्रपत्र कर्मचारी द्वारा नियुक्ति के समय नहीं, बल्कि चौदह वर्षों की सेवा के बाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तीसरी यह कि इस मामले में, जबकि परिवीक्षाधीन राम रतन यादव के विरुद्ध परिवीक्षा अवधि के भीतर ही तुरंत कार्यवाही की गई थी, यह जानते हुए भी कि अपीलार्थी ने गलत जानकारी दी है, उत्तरवादियों ने सात वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे संकेत मिलता है कि विभाग लंबे समय तक इस धारणा पर आगे बढ़ता रहा कि गलत जानकारी के लिए किसी अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। सात वर्ष बाद उसे सेवा से बर्खास्त करने का विलम्बित निर्णय अनुचित और अनुच्छेद 311 का उल्लंघन था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. यदि अपीलार्थी को आरोप-पत्र या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया होता, तो उसे सूची 12 में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का कारण स्पष्ट करने का अवसर मिलता। वह यह स्पष्ट कर सकता था कि उसने प्रश्नों को ठीक से नहीं समझा था और उसे नियुक्ति की तिथि के अनुसार जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। वास्तव में, उसका यह तर्क कि उसे नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में सूची 12 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे, सेवा समाप्ति आदेश से समर्थित होता है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी को प्रारंभिक भर्ती के समय सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी देने और तथ्यों को छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया था। इससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि उससे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के संदर्भ में सूची 12 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा की गई थी, जबकि

प्रपत्र के खंड 12(ख) और (ग) में कहा गया था कि जानकारी सत्यापन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने की तिथि के अनुसार होनी चाहिए। अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से निश्चित रूप से दोषसिद्धि और दिये जाने वाले दंड में फ़र्क़ पड़ता। लेकिन वह उक्त स्पष्टीकरण नहीं दे सका क्योंकि कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था या जांच कार्यवाही नहीं हुई थी। सेवा समाप्ति आदेश भी संधारणीय नहीं है, क्योंकि उसमें यह कथन कि अपीलार्थी ने प्रारंभिक नियुक्ति के समय गलत जानकारी दी थी और तथ्य छिपाए थे, त्रुटिपूर्ण है।

20. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान सत्यापन प्रपत्र की प्रस्तावना में कर्मचारियों के लिए दिए गए निर्देशों और सत्यापन प्रपत्र के अंत में कर्मचारी द्वारा दिए गए सत्यापन प्रमाणपत्र में निहित वचनबद्धता की ओर आकर्षित किया, जो उसे सूचित करता है कि किसी भी गलत जानकारी के परिणामस्वरूप बिना किसी जांच के उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह तर्क दिया गया है कि चूँकि सत्यापन प्रपत्र में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बिना किसी सूचना के सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए यदि वह गलत जानकारी देता है, तो कर्मचारी को बिना किसी सूचना के सेवा समाप्ति पर आपत्ति करने से रोका जाता है। उक्त तर्क एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के मामले में स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन एक स्थायी शासकीय कर्मचारी के मामले में नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. सत्यापन प्रपत्र में कोई भी शर्त, या किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा दी गई कोई भी सहमति, संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत किसी शासकीय कर्मचारी को प्रदान की गई संवैधानिक सुरक्षा को समाप्त नहीं कर सकती।

17. अंतिम विश्लेषण में, इस न्यायालय की राय है कि बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश अवैध और विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। वर्तमान मामले में,

याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक 22.2.1989 को हुई थी। यद्यपि पुलिस उप महानिरीक्षक ने दिनांक 10.9.1991 को एक ज्ञापन भेजा था, फिर भी याचिकाकर्ता लगभग 6 वर्षों तक बिना किसी कार्यवाही के सेवा पर बना रहा, जब तक कि दिनांक 20.2.1997 को बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित नहीं हो गया। **कमल नयन मिश्रा** (पूर्वोक्त) के मामले में प्राप्त समान तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करते हुए, निम्नलिखित अवधारित किया गया :

> "24. बिना किसी जाँच या सुनवाई के अपीलार्थी की बर्खास्तगी अवैध और अमान्य थी। सामान्य स्थिति में, हम बर्खास्तगी को अपास्त कर देते और नियोक्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए, परिणामी लाभों के साथ बहाली का निर्देश देते। लेकिन इस मामले के विशिष्ट तथ्यों के कारण हमें पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. हम पहले ही बता चुके हैं कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अपीलार्थी इस धारणा के तहत सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा था कि उसे अपनी नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में प्रपत्र के सूची 12 में मांगे गए विवरण देने होंगे। इसके अलावा, पूरा मामला वर्ष 1994 में दिए गए एक सत्यापन प्रपत्र से संबंधित है और अपीलार्थी दिनांक 7.3.2002 को बिना किसी जाँच के अवैध रूप से सेवा से बर्खास्त किए जाने के कारण सात वर्षों से अधिक समय से सेवा से बाहर है। इसलिए हमारा मानना है कि यदि अपीलार्थी को सेवा की निरंतरता और अन्य परिणामी लाभों के साथ बहाल कर दिया जाए, और आगे कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जाए, तो न्याय के हित सुरक्षित रहेंगे। अपीलार्थी दिनाक 7.3.2002 से आज तक की अवधि के लिए किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

26. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश और युगलपीठ के निर्णयों को अपास्त करते हैं। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में

दायर रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और दिनंाक 7.3.2002 के सेवा समाप्ति आदेश को अपास्त किया जाता है। उत्तरवादियों को अपीलार्थी को सेवा में बहाली और अन्य परिणामी अनुतोष (दिनांक 7.3.2002 से आज तक की अवधि के वेतन को छोड़कर) के साथ बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।"

18. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 20.2.1997 का आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश (अनुलग्नक क-2) एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। चूँकि याचिकाकर्ता दिनांक 5.3.1997 को पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में बना हुआ है, इसलिए इस संबंध में अतिरिक्त आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur